

राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर बने रिहायशी/गेर रिहायशी
निर्माणों के नियमन कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

कमांक नं. 16-11-2000

जिला कलेक्टर (तमरस)

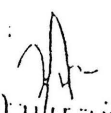
राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर बने रिहायशी/गेर रिहायशी निर्माणों के नियमन कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। मा. मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भी इस संबंध में समय-समय पर समीक्षा की गई है तथा इस कार्य में गति लाने के निर्देश दिये हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने नियमन कार्य से 100 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है जिसके मुकाबले अभी तक केवल 20 करोड़ रुपये की राशि ही प्राप्त हुई है। इस संबंध में अब तक प्राप्त प्रगति से यह दृष्टिगोचर होता है कि यह कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण एवं विभिन्न नगर विकास न्यायों में तो प्रारम्भ हो चुका है किन्तु अधिकांश नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं में यह कार्य या तो प्रारम्भ ही नहीं किया गया है या उसकी गति काफी धीमी है तथा अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। विभिन्न स्थानीय निकायों से जो जानकारी राज्य सरकार को प्राप्त हुई है (उसमें यह बताया गया है कि इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारी (Authorised Officers) नियुक्त नहीं हुए हैं। इस कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

1. यदि संबंधित नगर पालिका/परिषद/निगम के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं हुए हैं तो प्राधिकृत अधिकारी तुरंत नियुक्त किया जावे। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा आदेश कमांक दिनांक 1.11.2000 से संबंधित नगर पालिका क्षेत्रों में

एतः कृषि भूमि के नियमन के कार्य को प्राथमिकता से निपटाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्देशित करें तथा इस कार्य की समय-समय पर समीक्षा कर प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें।

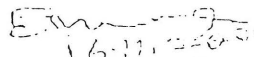
2. जिन नगर निगम/परिषद्/पालिका क्षेत्रों हेतु प्राधिकृत अधिकारी लगाये जा चुके हैं, उनके अथवा उनके किये गये कार्यों की समीक्षा आप अपने स्तर पर करें तथा इस कार्य को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दें। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाये कि भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी) की कार्यवाही को प्राथमिकता से निपटाये ताकि संबंधित नगर निगम/परिषद्/पालिका उस भूमि के पट्टे जारी कर सके।
3. धारा 90(बी) की कार्यवाही नगरीय योग्य सीमा के अलावा पेंसैफैरी बेल्ट जैसा कि इस विभाग के सगरे संख्यक परिपत्र दिनांक 13.9.2000 एवं 10.10.2000 में स्पष्ट किया गया है, में भी की जानी हैं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भूमि रूपांतरण नियम, 1981 के अन्तर्गत अब कार्यवाही नहीं की जानी है तथा इन्हें निरस्त (Repeal) करने का निर्णय लिया जा चुका है।

अतः कृषि भूमि के नियमन के कार्य को प्राथमिकता से निपटाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्देशित करें तथा इस कार्य की समय-समय पर समीक्षा कर प्रगति प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निम्नहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का कष्ट करें।


(जी.एस.रांधु)
शासन सचिव

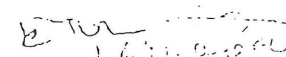
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवगत करवाने की है -

1. समस्त संसदीय आयुक्त ।
2. समस्त सचिव, नगर विकास विभाग ।
3. निदेशक, स्थानीय विकास विभाग, जयपुर ।


16.11.2020
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ -

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, नगरीय विकास ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।


16.11.2020
उप शासन सचिव